

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 186 785
ग्रा0वी0-5/इं0आ0यो0(mon.)-102-30/2013

पटना, दिनांक 30/05/2014

प्रेषक,

संजय कृष्ण,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत नियोजित ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं लेखा सहायकों की सूची को वेबसाइट पर अपलोड करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि इंदिरा आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं लेखा सहायक के नियोजन की प्रक्रिया प्रायः सभी जिलों में पूर्ण कर ली गयी है । जिन जिलों में चुनावी आचार संहिता के कारण नियोजन संबंधी कार्रवाई लंबित रह गयी थी, उन्हें दिनांक 31.05.2014 तक कार्रवाई पूर्ण करने हेतु विभागीय पत्रांक 186087 दिनांक 23.05.2014 के द्वारा अनुरोध किया गया है ।

2. नियोजन के साथ-साथ नियोजित कर्मियों की सूची को वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है । इसके लिए विहित प्रक्रिया निम्नवत है :-

(क) सर्वप्रथम www.iay.bih.nic.in पर login किया जाय ।

(ख) वेबपेज खुलने पर District login पर क्लिक किया जाय ।

(ग) नया पेज खुलने पर तीन विकल्प यथा

I. Download Document of Grameen Awaas Sahayak

II. Download Document of Grameen Awaas Paryavekshak तथा

III. Download Document of Lekha Sahayak आर्येंगे । इनमें से जिस पद के लिए नियोजित कर्मियों की सूची

अपलोड करनी है उसपर क्लिक किया जाय ।

(ग) जिला का User Id तथा पासवर्ड भरा जाय । ध्यातव्य है कि User Id तथा पासवर्ड आपको अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को Download कराने हेतु उपलब्ध कराया गया था ।

(घ) इसके बाद एक और नया पेज खुल जायेगा जिसमें update final appointed candidate पर क्लिक करने पर Final list of shortlisted candidate दिखाई देगा । इसमें 8वें स्तम्भ में Appointment Status है जिसमें Drop down box में जाकर जिन अभ्यर्थियों का नियोजन किया गया है उसमें Appointment select कर save कर दिया जाय ।

3. कृपया उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 01.06.2014 तक नियोजित अभ्यर्थियों की सूची अपलोड करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

NO
30.5.14
(संजय कृष्ण)

विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक 186 785

पटना, दिनांक 30/05/2014

प्रतिलिपि- सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

NO
30.5.14
विशेष कार्य पदाधिकारी